



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082025-265567
CG-DL-E-21082025-265567

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3643]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 13, 2025/श्रावण 22, 1947

No. 3643]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 13, 2025/SHRAVANA 22, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2025

का.आ. 3735(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 515 (अ), दिनांक 03.02.2021 द्वारा केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य में कानपुर के निकट शहीद पथ (मौजूदा एनएच-27 का किमी 11.000) के निकट एनएच-27 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर बानी, कांठा, अमरसस को जोड़ते हुये और एनएच संख्या 27 (मौजूदा एनएच-27 का किमी 71.300) के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाले एनई-6 खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके बाद "प्राधिकरण" कहा जाएगा) को सुपुर्द किया है;

अतः, अब, समय-समय पर संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसके पश्चात "नियम" कहा जाए), के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में एक्सप्रेसवे संख्या एनई-6 पर किमी 17.580 से किमी 73.744 (लंबाई 56.164 किमी) तक के खंड के उपयोग के लिए जो कि का.आ. संख्या 515 (अ) दिनांक 03.02.2021 के तहत एनई-6 के रूप में अधिसूचित एक्सप्रेसवे का हिस्सा हैं इसके नीचे दी गई सारणी 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 45.7259 किमी की निवल सड़क खंड लंबाई और 104.381किमी (10.4381 किमी की लंबाई) के समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई) के लिए सारणी 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट दर के 125%

पर शुल्क उद्गृहीत करती है (जिसे इसके पश्चात् 'आधार दर' कहा जाए), और अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

सारणी-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्गृहीत और संग्रहीत शुल्क किन्हीं दो शुल्क प्लाजाओं के बीच विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं में देय और संदेय होगी:

सारणी - 2			
क्र. सं.	शुल्क प्लाजा का स्थान (चेनेज किमी में)	लंबाई किमी में जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
(1)	(2)	(3)	(4)
1	किमी 18+650* पर शुल्क प्लाजा लखनऊ जिले का मीरानपुर पिनवट गाँव	नीचे दी गई तालिका संख्या 3 में दूरी मैट्रिक्स के अनुसार	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 125%
2	किमी 24+500 पर शुल्क प्लाजा लखनऊ जिले का खंडेदेव गाँव पर		
3	किमी 27+700 पर शुल्क प्लाजा लखनऊ जिले का बानी गाँव		
4	किमी 65+700 शुल्क प्लाजा पर उन्नाव जिले का अमरसस गाँव		
5	किमी 73+744 उन्नाव शुल्क प्लाजा जिले का कदर पटारी गाँव		

* किलोमीटर 18.650 पर स्थित शुल्क प्लाजा कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 17.580 से/तक की टोलिंग लंबाई के लिए है।

सारणी 3						
शुद्ध सड़क लंबाई के लिए दूरी मैट्रिक्स (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचनाओं को छोड़कर)						
		प्रारंभिक बिंदु किमी 17.580 (शुल्क प्लाजा किमी 18.650 पर)	शुल्क प्लाजा, किमी 24.500 पर	शुल्क प्लाजा, किमी 27.700 पर	शुल्क प्लाजा, किमी 65.700 पर	शुल्क प्लाजा, किमी 73.744 पर

से	किमी	17.580	24.500	27.700	65.7	73.744
प्रारंभिक बिंदु किमी 17.580 (शुल्क प्लाज़ा किमी 18.650 पर)	17.580	0	1.025	1.025	37.8176	45.7259
शुल्क प्लाज़ा किमी 24.500 पर	24.500	1.0250	0	0	36.7926	44.7009
शुल्क प्लाज़ा किमी 27.700 पर	27.700	1.0250	0	0	36.7926	44.7009
शुल्क प्लाज़ा किमी 65.700 पर	65.700	37.8176	36.7926	36.7926	0	7.9083
शुल्क प्लाज़ा किमी 73.744 पर	73.744	45.7259	44.7009	44.7009	7.9083	0

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ाओं पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा:

सारणी 4				
क्र. सं.	शुल्क प्लाज़ा का स्थान (चेनेज किमी में)	लंबाई (किमी में) जिसके लिए शुल्क संदेय	समकक्ष सड़क लंबाई (किमी में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	किमी 18+650* पर शुल्क प्लाज़ा लखनऊ जिले का मीरानपुर पिनवट गाँव	नीचे दी गई तालिका 5 में 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचनाओं के लिए दूरी मैट्रिक्स के अनुसार	स्तंभ 3 के अनुसार दूरी का 10 गुना	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 125%
2	किमी 24+500 पर शुल्क प्लाज़ा लखनऊ जिले का खडेदेव गाँव पर			
3	किमी 27+700 पर शुल्क प्लाज़ा लखनऊ जिले का बानी गाँव			
4	किमी 65+700 शुल्क प्लाज़ा पर उन्नाव जिले का अमरसस गाँव			
5	किमी 73+744 उन्नाव शुल्क प्लाज़ा जिले का कदर पटारी गाँव			

सारणी - 5						
शुल्क प्लाज़ाओं के बीच संरचनाओं की लंबाई ¹ (>60 मीटर) के लिए दूरी मैट्रिक्स						
	तक	प्रारम्भिक बिंदु किमी 17.580 (किमी 18.650 पर शुल्क प्लाज़ा)	किमी 24.500 पर शुल्क प्लाज़ा	किमी 27.700 पर शुल्क प्लाज़ा	किमी 65.700 पर शुल्क प्लाज़ा,	किमी 73.744 पर शुल्क प्लाज़ा

से	किमी	17.580	24.500	27.700	65.700	73.744
प्रारम्भिक बिंदु किमी 17.580 (किमी 18.650 पर शुल्क प्लाज़ा)	17.580	0	5.8950	9.0950	10.3024	10.4381
किमी 24.500 पर शुल्क प्लाज़ा	24.500	5.8950	0	3.2000	4.4074	4.5431
किमी 27.700 पर शुल्क प्लाज़ा	27.700	9.0950	3.2000	0	1.2074	1.3431
किमी 65.700 पर शुल्क प्लाज़ा	65.700	10.3024	4.4074	1.2074	0	0.1357
किमी 73.744 पर शुल्क प्लाज़ा	73.744	10.4381	4.5431	1.3431	0.1357	0

^60 मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचनाओं का व्योरा इस प्रकार है:

सारणी -5क						
क्रम. सं.	संरचना का प्रकार	से	चे.तक	डिज़ाइन किमी	संरचना की लंबाई (औसत) किमी में	समकक्ष सड़क की लंबाई किमी में
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ = च x 10
1	एलीवेटेड वायाडक्ट	18.605	28.195		9.59	95.9
2	बड़ा पुल	28.195	28.37	28.230	0.175	1.75
3	बड़ा पुल (बाएं ओर)	46.1625	46.2388	46.2006	0.0763	0.763
	बड़ा पुल (दांये ओर)	46.1753	46.2516	46.2134		
4	फ्लाईओवर (बाएं ओर)	55.4689	55.6023	55.5356	0.1333	1.333
	फ्लाईओवर (दांये ओर)	55.4752	55.6085	55.5419		

5	बड़ा पुल	63.8722	64.0438	63.9580	0.1716	1.716
6	आरओबी	64.4235	64.5007	64.4621	0.0772	0.772
7	इंटरचेंज (बाएं ओर)	65.6121	65.6918	65.6519	0.079	0.79
	इंटरचेंज (दांये ओर)	65.6279	65.7062	65.6568		
8	बड़ा पुल (बाएं ओर)	72.6301	72.7010	72.6656	0.0709	0.709
	बड़ा पुल (दांये ओर)	72.6439	72.7148	72.6793		
9	इंटरचेंज	73.7016	73.7664	73.7340	0.0648	0.648
कुल					10.4381	104.381

सारणी - 5 ख						
शुल्क प्लाजाओं के बीच समतुल्य संरचनाओं की लंबाई (>60 मीटर) के लिए दूरी मैट्रिक्स (10 X संरचनाओं की लंबाई)						
	तक	प्रारम्भिक बिंदु किमी 17.580 (किमी 18.650 पर शुल्क प्लाजा)	किमी 24.500 पर शुल्क प्लाजा	किमी 27.700 पर शुल्क प्लाजा	किमी 65.700 पर शुल्क प्लाजा	किमी 73.744 पर शुल्क प्लाजा
से	किमी	17.580	24.500	27.700	65.700	73.744
प्रारम्भिक बिंदु किमी 17.580 (किमी 18.650 पर शुल्क प्लाजा)	17.580	0	58.950	90.950	103.024	104.381

किमी 24.500 पर शुल्क प्लाजा	24.500	58.950	0	32.000	44.074	45.431
किमी 27.700 पर शुल्क प्लाजा	27.700	90.950	32.000	0	12.074	13.431
किमी 65.700 पर शुल्क प्लाजा	65.700	103.024	44.074	12.074	0	01.357
किमी 73.744 पर शुल्क प्लाजा	73.744	104.381	45.431	13.431	01.357	0

3. निम्न प्रभावी लंबाई जिसके लिए शुल्क देय और संदेय होगा, निम्नानुसार है:

सारणी -6						
कुल टोल योग्य सड़क लंबाई के लिए दूरी मैट्रिक्स (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचनाओं की समतुल्य लंबाई सहित) (तालिका 3 + तालिका 5बी)						
	तक	प्रारम्भिक बिंदु किमी 17.580 (किमी 18.650 पर शुल्क प्लाजा)	किमी 24.500 पर शुल्क प्लाजा,	किमी 27.700 पर शुल्क प्लाजा	किमी 65.700 पर शुल्क प्लाजा	किमी 73.744 पर शुल्क प्लाजा
से	किमी	17.580	24.500	27.700	65.700	73.744
प्रारम्भिक बिंदु किमी 17.580 (किमी 18.650 पर शुल्क प्लाजा)	17.580	0	59.9750	91.9750	140.8416	150.1069
किमी 24.500 पर शुल्क प्लाजा	24.500	59.9750	0	32.0000	80.8666	90.1319

किमी 27.700 पर शुल्क प्लाज़ा	27.700	91.9750	32.0000	0	48.8666	58.1319
किमी 65.700 पर शुल्क प्लाज़ा	65.700	140.8416	80.8666	48.8666	0	9.2653
किमी 73.744 पर शुल्क प्लाज़ा	73.744	150.1069	90.131 9	58.1319	9.2653	0

4. विभिन्न प्रकार की यातायात गतिविधियाँ जिनके लिए वास्तविक यात्रा दूरी के आधार पर प्रयोगकर्ता शुल्क लिया जाएगा, निम्नानुसार हैं:

लखनऊ से कानपुर तक बाईं ओर चलने वाला यातायात

सारणी 7 ए: लखनऊ से कानपुर तक बाईं ओर चलने वाला यातायात			
क्रम सं.	किमी	प्रवेश से	निकासी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	17+580	मीरानपुर पिनवट (एमसीडब्ल्यू), किमी 17+580 प्रवेश टोल प्लाजा पर किमी 18+650 पर दर्ज किया जाएगा	खंडेदेव (रैंप), किमी 24.500
			अमरसस (इंटरचेंज), किमी 65.700
			कदर पटेरी (इंटरचेंज), किमी 73+744
2	27+700	बानी (इंटरचेंज), किमी 27+700 (रैंप शुल्क प्लाजा (प्रवेश और निकास दोनों))	अमरसस (इंटरचेंज), किमी 65.700
			कदर पटेरी (इंटरचेंज), किमी 73+744
3	65+700	अमरसस (इंटरचेंज), किमी 65+700 (रैंप शुल्क प्लाजा (दोनों प्रवेश और निकास पर)	कदर पटेरी (इंटरचेंज), किमी 73+744

कानपुर से लखनऊ तक दाएँ ओर से चलने वाला यातायात

सारणी 7बी: कानपुर से लखनऊ तक दाएँ तरफ चलने वाला यातायात			
क्रम सं.	किमी	से प्रवेश	निकासी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	73+744	कदर पटेरी (इंटरचेंज), किमी 73+744 (रैंप शुल्क प्लाजा (प्रवेश और निकास दोनों))	अमरसस (इंटरचेंज), किमी 65.700
			बानी (इंटरचेंज), किमी 27+700
			मीरानपुर पिनवट (एमसीडब्ल्यू), किमी 17+580

2	65+700	अमरसस (इंटरचेंज), किमी 65+700 (रैंप शुल्क प्लाजा (प्रवेश और निकास दोनों))	बानी (इंटरचेंज), किमी 27+700
			मीरानपुर पिनवट (एमसीडब्ल्यू), किमी 17+580
3	24+500	खंडेदेव (रैंप), किमी 24.500 (रैंप शुल्क प्लाजा (प्रवेश और निकास दोनों))	मीरानपुर पिनवट (एमसीडब्ल्यू), किमी 17+580

5. शुल्क प्लाजा को पार करके खंड के केवल एक भाग का उपयोग करने वाले वाहन को उस श्रेणी के वाहन के लिए केवल उसी प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट शुल्क का भुगतान करना होगा और पूरे खंड का उपयोग करने वाले वाहन के पास पहले शुल्क प्लाजा पर पूरे शुल्क का भुगतान करने और शुल्क रसीद/ऑटो डेबिट दिखाकर दूसरे शुल्क प्लाजा को पार करने का विकल्प होगा।

6. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी 8		
संदेय धनराशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधि मान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना*	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई*	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

*वशर्ते कि प्रयोक्ता वापसी यात्रा करते समय उसी प्रवेश और निकास शुल्क प्लाजा का उपयोग करें।

7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश के लिए, कथित नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1ए में विनिर्दिष्ट शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. उपर्युक्त सारणी – 1 में यथा उल्लिखित आधार वर्ष 2007-2008 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 4432.27 करोड़ रुपये है। चूंकि, भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, इत्यादि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. पीआरओजे-35017(12)/2/2025-पीआईयू लखनऊ/ई-253042]

विनय कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2025

S.O. 3735(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. No. 515(E) dated 03.02.2021 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch of NE-6, starting from its junction with NH-27 near Shaheed Path (km 11.000 of existing NH-27) connecting Bani, Kantha, Amarsas and terminating at its junction with NH No 27 (Km 71.300 of existing NH-27) near Kanpur in the state of Uttar Pradesh to the National Highways Authority of India (herein after referred to as the “Authority”).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the “said Rules”), the Central Government, hereby levies the fee on mechanical vehicles at 125% of the rate specified in Column (2) of the Table 1 (hereinafter referred to as “base rate”) net road section length of 45.7259 Km and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 104.381 km (having length of 10.4381 km) on the Type of Vehicles specified in Column (1) of the Table 1 below for the use of section from Km 17.580 to km 73.744 (length 56.164 km) on Expressway No.NE-6 in the States of Uttar Pradesh, which is Expressway notified as NE-6 vide S.O. No. 515(E) dated 03.02.2021 and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely: -

Table 1	
Type of vehicle	Base rate of fee per Km for the Base Year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Fee Plaza (s) for net road length specified for such Fee Plaza (s).

TABLE-2			
Sl. No.	Location of Fee Plaza (Ch.)	Length in Km for which Fee is payable	Rate at which Fee is payable
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Km 18+650* Fee Plaza at Miranpur Pinvat Village Dist - Lucknow	As per the distance Matrix at table no 3 below	125% of the base rates mentioned in table no. 1 above
2	Km 24+500 Fee Plaza at Khandedev Village Dist – Lucknow		
3	Km 27+700 Fee Plaza at Bani Village Dist - Lucknow		

4	Km 65+700 Fee Plaza at Amarsus Village Dist - Unnao		
5	Km 73+744 Fee Plaza at Kader Patari Village Dist - Unnao		

* Fee Plaza located at Km 18.650 is for Tolling length from / up to km 17.580 of Kanpur Lucknow Expressway.

TABLE-3						
Distance Matrix for Net Road length (Excluding length of Structures > 60 M length)						
	To	Starting Point Km 17.580 (Fee Plaza at Km 18.650)	Fee Plaza at Km 24.500	Fee Plaza at Km 27.700	Fee Plaza at Km 65.700	Fee Plaza at Km 73.744
From	Km	17.580	24.500	27.700	65.7	73.744
Starting Point Km 17.580 (Fee Plaza at Km 18.650)	17.580	0	1.025	1.025	37.8176	45.7259
Fee Plaza at Km 24.500	24.500	1.0250	0	0	36.7926	44.7009
Fee Plaza at Km 27.700	27.700	1.0250	0	0	36.7926	44.7009
Fee Plaza at Km 65.700	65.700	37.8176	36.7926	36.7926	0	7.9083
Fee Plaza at Km 73.744	73.744	45.7259	44.7009	44.7009	7.9083	0

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following toll plaza, by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

TABLE-4				
Sl. No.	Location of Fee Plaza (Ch.)	Length (in Km) for which fee is payable	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Km 18+650* Fee Plaza at Miranpur Pinvat Village Dist - Lucknow	As per the distance matrix for structures > 60 m length at Table 5 below	10 times of the distance as per col.3	125% of the base rates mentioned in table no. 1 above
2	Km 24+500 Fee Plaza at Khandedev Village Dist - Lucknow			
3	Km 27+700 Fee Plaza at Bani Village Dist - Lucknow			

4	Km 65+700 Fee Plaza at Amarsus Village Dist - Unnao			
5	Km 73+744 Fee Plaza at Kader Patari Village Dist - Unnao			

TABLE-5						
Distance Matrix for road length of structures^ (> 60 m length) between Fee Plazas						
	To	Starting Point Km 17.580 (Fee Plaza at Km 18.650)	Fee Plaza at Km 24.500	Fee Plaza at Km 27.700	Fee Plaza at Km 65.700	Fee Plaza at Km 73.744
From	Km	17.580	24.500	27.700	65.700	73.744
Starting Point Km 17.580 (Fee Plaza at Km 18.650)	17.580	0	5.8950	9.0950	10.3024	10.4381
Fee Plaza at Km 24.500	24.500	5.8950	0	3.2000	4.4074	4.5431
Fee Plaza at Km 27.700	27.700	9.0950	3.2000	0	1.2074	1.3431
Fee Plaza at Km 65.700	65.700	10.3024	4.4074	1.2074	0	0.1357
Fee Plaza at Km 73.744	73.744	10.4381	4.5431	1.3431	0.1357	0

^The details of structures having length more than 60m are as under:

TABLE -5A						
Sr No	Type of Structure	From	Ch. To	Design Km	Length Of Structure(average) in km	Equivalent road length in km
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (f) X 10
1	Elevated Viaduct	18.605	28.195		9.59	95.9
2	Major Bridge	28.195	28.37	28.230	0.175	1.75
3	Major Bridge (LHS)	46.1625	46.2388	46.2006	0.0763	0.763
	Major Bridge (RHS)	46.1753	46.2516	46.2134		
4	Flyover (LHS)	55.4689	55.6023	55.5356	0.1333	1.333
	Flyover (RHS)	55.4752	55.6085	55.5419		
5	Major Bridge	63.8722	64.0438	63.9580	0.1716	1.716
6	ROB	64.4235	64.5007	64.4621	0.0772	0.772
7	Interchange (LHS)	65.6121	65.6918	65.6519	0.079	0.79

	Interchange (RHS)	65.6279	65.7062	65.6568		
8	Major Bridge (LHS)	72.6301	72.7010	72.6656	0.0709	0.709
	Major Bridge (RHS)	72.6439	72.7148	72.6793		
9	Interchange	73.7016	73.7664	73.7340	0.0648	0.648
				TOTAL	10.4381	104.381

Table-5B						
Distance Matrix for equivalent length of structures (> 60 Meter length) between Fee Plazas (i.e 10x length of structures)						
	To	Starting Point Km 17.580 (Fee Plaza at Km 18.650)	Fee Plaza at Km 24.500	Fee Plaza at Km 27.700	Fee Plaza at Km 65.700	Fee Plaza at Km 73.744
From	Km	17.580	24.500	27.700	65.700	73.744
Starting Point Km 17.580 (Fee Plaza at Km 18.650)	17.580	0	58.950	90.950	103.024	104.381
Fee Plaza at Km 24.500	24.500	58.950	0	32.000	44.074	45.431
Fee Plaza at Km 27.700	27.700	90.950	32.000	0	12.074	13.431
Fee Plaza at Km 65.700	65.700	103.024	44.074	12.074	0	01.357
Fee Plaza at Km 73.744	73.744	104.381	45.431	13.431	01.357	0

3. The net effective length for which fee shall be due and payable is as under:

TABLE-6						
Distance matrix for total tollable road length (Including equivalent length of structures >60 m length) (Table 3 + Table 5B)						
	To	Starting Point Km 17.580 (Fee Plaza at Km 18.650)	Fee Plaza at Km 24.500	Fee Plaza at Km 27.700	Fee Plaza at Km 65.700	Fee Plaza at Km 73.744
From	Km	17.580	24.500	27.700	65.700	73.744
Starting Point Km 17.580 (Fee Plaza at Km 18.650)	17.580	0	59.9750	91.9750	140.8416	150.1069
Fee Plaza at Km 24.500	24.500	59.9750	0	32.0000	80.8666	90.1319

Fee Plaza at Km 27.700	27.700	91.9750	32.0000	0	48.8666	58.1319
Fee Plaza at Km 65.700	65.700	140.8416	80.8666	48.8666	0	9.2653
Fee Plaza at Km 73.744	73.744	150.1069	90.1319	58.1319	9.2653	0

4. The various types of traffic movements for which the user fee will be charged on the basis of actual distance travelled is as under:

Traffic plying on LHS from Lucknow to Kanpur

Table 7 A: Traffic plying on LHS from Lucknow to Kanpur			
Sl.No.	KM	Entry From	Exit To
(1)	(2)	(3)	(4)
1	17+580	Miranpur Pinvat (MCW), Km 17+580 Entry shall be recorded at Toll Plaza at Km 18+650	Khandedev(Ramp), Km 24.500
			Amarsus (Interchange), Km 65.700
			Kader Pateri (Interchange), Km 73+744
2	27+700	Bani (Interchange), Km 27+700 (Ramp Fee Plaza (both entry and exit))	Amarsus (Interchange), Km 65.700
			Kader Pateri (Interchange), Km 73+744
3	65+700	Amarsus (Interchange), Km 65+700 (Ramp Fee Plaza (both entry and exit))	Kader Pateri (Interchange), Km 73+744

Traffic plying on RHS from Kanpur to Lucknow

Table 7 B: Traffic plying on RHS from Kanpur to Lucknow			
Sl.No.	KM	Entry From	Exit To
(1)	(2)	(3)	(4)
1	73+744	Kader Pateri(Interchange), Km 73+744 (Ramp Fee Plaza (both entry and exit))	Amarsus (Interchange), Km 65.700
			Bani (Interchange), Km 27+700
			Miranpur Pinvat (MCW), Km 17+580
2	65+700	Amarsus (Interchange), Km 65+700 (Ramp Fee Plaza (both entry and exit))	Bani (Interchange), Km 27+700
			Miranpur Pinvat (MCW), Km 17+580
3	24+500	Khandedev(Ramp), Km 24.500 (Ramp Fee Plaza (both entry and exit))	Miranpur Pinvat (MCW), Km 17+580

5. The vehicle using only a part of the section by crossing a fee plaza shall pay the specified fee for that category of the vehicle for that plaza only and the vehicle using the whole section shall have an option to pay the whole fee at the first fee plaza and cross another fee plaza by showing the fee receipt/ Auto Debited.

6. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Table-8		
Amount Payable	Maximum number of one- way journeys allowed	Period of Validity
One and half times of the fee for one-way journey*	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys*	Fifty	One month from date of payment

* Provided that the user uses the same entry and exit fee plazas while performing the return journey.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

10. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

11. The estimated capital cost of the project is Rs. 4432.27 Cr. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized.

[F. No. PROJ-35017(12)/2/2025-PIU Lucknow /E-253042]

VINAY KUMAR, Addl. Secy.